| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टी0ए0/3930/2006/झुंझुनू<br>बल्लाराम बनाम रघुबीर सिंह व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 24.07.2023 | **<u>एकल–पीठ</u>**<br>**श्री रामनिवास जाट, सदस्य**<br>**<u>उपस्थित :</u>**<br>श्री हेमन्त सोगानी, अभिभाषक प्रार्थीगण।<br>श्री श्याम बाबू पारिक, अभिभाषक अप्रार्थीगण।<br><br>**<u>निर्णय</u>**<br>यह निगरानी अंतर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–06–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।<br>प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 ने एक वाद बाबत कब्जा दिलाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा के समक्ष पेश किया। दौराने वाद प्रार्थी/प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया। जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा ने अपने आदेश दिनांक 02–06–06 द्वारा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।<br>उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी में सुनी गई ।<br>विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपने वाद के साथ काउन्टरक्लेम भी पेश किया है जो दावे का ही एक रूप है। मृतक मूल खातेदार मुखराम की पुत्रीयों को वाद में पक्षकार नहीं बनाये जाने से प्रार्थी पक्ष को गंभीर क्षति होगी। वाद के निर्णय के उपरांत भी मुखराम | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टी0ए0/3930/2006/झुंझुनू<br>बल्लाराम बनाम रघुबीर सिंह व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | की पुत्रीयां प्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही बाबत दावा पेश कर सकती है। जिससे प्रकरण में वाद बाहुल्यता बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक भूमियों में पुत्रीयों का भी महत्वपूर्ण हक व अधिकार निहित होता है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रकरण में संशोधन प्रार्थना पत्र एवं पक्षकार बनाये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र किसी भी समय एवं किसी भी स्तर पर पेश किया जा सकता है। प्रार्थीगण ने अपने जवाबदावा में संशोधन किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने में कोई विलंब नहीं किया है। परीक्षण न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर ध्यान दिये बिना ही प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 खारिज कर दिया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस के अंत में प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने का निवेदन किया।<br><br>विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि मुखराम की पुत्रीयां वादपत्र में आवश्यक पक्षकार नहीं है एवं मुखराम की बहनें भी वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं है। वाद भूमि का कब्जा प्राप्त करने का है घोषणा का वाद नहीं है। कब्जे का वाद किसी एक खातेदार द्वारा भी किया जा सकता है। सभी खातेदारों को कब्जे के वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रार्थी/प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत करते समय यह इबारत अंकित नहीं की कि मुखराम की पुत्रीयों को वाद में पक्षकार बनाया जावें। दावे की वर्तमान स्टेज पर किसी प्रकार का संशोधन किया जाना उचित व न्यायोचित नहीं था। दावे की वर्तमान स्थिति में संशोधन करने से दावे की प्रकृति पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। इसलिये परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की। बहस के अंत में | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टी0ए0/3930/2006/झुंझुनू<br>बल्लाराम बनाम रघुबीर सिंह व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | विद्वान अभिभाषक ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत बताते हुये प्रस्तुत निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया।<br><br>उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।<br><br>इस प्रकरण के समस्त विवेचन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अधीस्थ परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा द्वारा उनके यहां विचाराधीन जवाबदावे के संबंध में निगराकार/प्रार्थी पक्ष का आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था। निगराकार/प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के द्वारा यह निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमियों के संबंध में विचाराधीन मूल वाद में मृतक मूल खातेदार की पुत्रियां वारीस होने से उनको पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये। पैतृक भूमियों में पुत्रियों को महत्वपूर्ण हक व अधिकार निहित होते है जिसके कारण उक्त वाद में सुनवाई के लिये वह आवश्यक पक्षकार होती है। सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने से सभी संबंधित पक्षकारों के मध्य विचाराधीन वाद और दावे का गुणावगुण पर विधि अनुसार अंतिम रूप से निस्तारण करने में सहायता मिलेगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जवाबदावें में प्रस्तावित संशोधन से मूल दावे की प्रकृति व स्वरूप में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। इस प्रकार निगराकार/प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य होने से परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02-06-2006 अपास्त करते हुये निगराकार/प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टी0ए0/3930/2006/झुंझुनू<br>बल्लाराम बनाम रघुबीर सिंह व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | निगराकार/प्रतिवादी पक्ष द्वारा उक्त संशोधन के परिणामस्वरूप रेस्पो0/वादी पक्ष चाहे तो जवाबउलजवाब भी प्रस्तुत कर सकेंगे।<br>निर्णय की सूचना योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे।<br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**(रामनिवास जाट)**<br>**सदस्य** | |